महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृति एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम-2005 का विश्लेषणात्मक अध्ययन

***डॉ0 हेमा देवी**
****प्रो0 राजेश्वरी पंत**

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
यत्र यतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया।।"

मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं के महत्व को उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट किया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ रही है, विशेष रूप यह देखा गया है कि हिन्दू समाज में महिलाओं को मातृ–स्वरूपा, जनसमाज की जन्मदात्री और माँ भगवती स्वरूपा माना गया है। हिन्दू समाज में महिलाओं को ज्ञान, शक्ति और श्री का प्रतीक माना जाता है तथा इसी कारण इनकी पूजा दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में की जाती है। हिन्दुओं में स्त्री के बिना पुरूष और पुरूष के बिना स्त्री को अधूरा माना गया है। इसीलिए स्त्री को अर्द्धांगिनी की संज्ञा प्रदान की गयी है। मानव संस्कृति में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गृहस्थी रूपी रथ के दो पहियों में एक पहिया स्त्री को माना गया है। अतः स्त्री के बिना गृहस्थी रूपी रथ का चलना सम्भव नहीं है। मानव जीवन में स्थायित्व प्रदान करने का मुख्य श्रेय स्त्री को ही जाता है। इसी आधार पर रायदान लिखते हैं कि–"महिलाओं ने पहले पहल सभ्यता की नीव डाली और मानव को इधर–उधर भटकने से बचाया।"

सन 1970 के दशक के प्रारम्भ में महिला उत्पीड़न (पत्नी को मारना, पीटना, बलात्कार, अपहरण, भगाना, हत्या, शोषण, दहेज हत्या, भ्रूण परीक्षण, छेड़छाड़, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, यौन षोशण आदि) सम्बन्धी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही यह घटनाएं सार्वजनिक रूप ग्रहण कर चुकी है। यही कारण है कि अब महिला उत्पीड़न को एक व्याधिकीय समस्या की श्रेणी में रखा गया है। अतः महिला उत्पीड़न की समस्या पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन मनन और चिन्तन किया है। इस समस्या का अध्ययन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवष्यकता प्रतीत होती है क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों से ही इस समस्या के मूल तक पहुँचा जा सकता है और तभी इनका उचित उपचार सम्भव है।[1] उपरोक्त विश्लेषण में यह पाया गया कि समाज में महिला उत्पीड़न सामाजिक समस्याओं जैसे–परिवार, विवाह, धर्म, राजनीति तथा आर्थिक आदि द्वारा उत्पन्न प्रदूषण सामाजिक पर्यावरण का ही कारण है। अतः इस समस्या की कारणात्मक पहलुओं को समझने का प्रयास करना अति आवश्यक है।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है। इसके संरचनात्मक तथ्यों से सम्बद्ध तथ्यों का एकत्रीकरण, द्वितीयक स्रोतों के रूप में सम्बन्धित पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं आदि का प्रयोग कर विषय की विभिन्न पहलुओं को पुष्ट किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1– समाज में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचार को समाप्त करना।

2– महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

*राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर नैनीताल
**राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर नैनीताल

आज हमारे सामने दहेज के लिए महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना हो या कन्या भ्रूण हत्या, साइबर क्राइम घरेलू हिंसा का शिकार जैसे कुकृत्यों से नारी अस्तित्व पर आक्रमण बढ़े हैं। इस प्रकार महिला हिंसा के आकड़ों को देखा जाये तो भारत में हर 3 मिनट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक मामला दर्ज होता है। प्रत्येक 1 मिनट में परिवार में महिला के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला दर्ज होता हैं। प्रत्येक 77 मिनट में दहेज मामले में एक महिला की मृत्यु होती है। प्रतिदिन दहेज सम्बन्धी हिंसा के लगभग 50 मामले दर्ज होते हैं। प्रत्येक 29 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है

इस प्रकार गिरते हुए मानवीय मूल्यों ने जहां एक ओर हमारे समाज की नींव हिला रखी है वहीं महिलाओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। अपराध व हिंसा बढ़ने से नैतिक मूल्य धरातल के गर्त में खो चुके हैं। दिल्ली में घटित 16 दिसम्बर की दर्दनाक घटना ने तो देश के गाँवों, कस्बों, शहरों व महानगरों को हिला कर रख दिया है। हमें यहीं स्थिर होकर यह समझना होगा कि यह विरोध प्रदर्शन तक या कठोर कानून बनाने की मांग तक ही सिमटकर न रह जाये। इस अमानवीय घटना के विरोध में कई तरह की आवाज उठाई गयी थी। यह समस्या मात्र किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि पूरे देश की घटना है। ऐसी घटनाओं के प्रति केवल सोचने–विचारने से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें कठोर कानून की आवश्यकता है और महिलाओं के प्रति ऐसी कुकृत्य भावना रखने वाले व्यक्तियों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को बेरोजगारी को दूर करना होगा और रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना होगा।[2] आज के समाज में केवल स्त्री को दोषी माना जाता है तथा उस पर तरह–तरह के कड़े पहरे की बात करता है। कोई महिलाओं के पहनावे की बात करता है तो कोई कहता है कि महिलाओं को शाम 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और कोई कहता है उनको किसी भी प्रकार के अत्याचार का विरोध न करना चाहिए वरन् अत्याचारियों के सामने समर्पण कर देना चाहिए। कोई कहता है भारत को आजादी आधी रात को मिली तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि महिलाएं रात को सड़कों पर घूमे। बात तो महिलाओं के नजरिए की है।[3] क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाने से महिलाएं खुद को सुरक्षित समझ लें? या फिर आज मीडिया, समाज, पुलिस और सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील और सतर्क हो गयी है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसे घिनौने व जघन्य अपराधों का ग्राफ नीचे आने के बजाय ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। यह वास्तव में अत्यधिक चिन्तनीय व विचारणीय प्रश्न है।

क्या स्त्री का स्वतंत्रता संग्राम अभी भी जारी है? माना कि दिनों दिन व आगे बढ़ रही है लेकिन अचानक उसकी यात्रा को बाजार की ओर मोड दिया जाता है और आर्थिक मजबूती का झांसा ऐसा लगता है कि हमारी आजादी झटका खाकर मुँह के बल गिरती हैं।[4] नैतिकता, शालीनता, मर्यादा के सारे प्रतिमान टूट जाते हैं जब सभ्य कहे जाने वाले समाज में भी जेसिका लाल हत्याकांड, आरूषि हत्याकांड, नैना साहनी हत्याकांड, मधुमिता हत्याकांड, तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरूण तेजपाल पर लगे आरोपों के पुख्ता सबूत उपभोक्तावादी मानसिकता प्रकट करती है। हमारे जीवन के आधार मूल्य तिरोहित और तार–तार हो रहे हैं। विनाषक हालातों के कारण मानवता कराह रही है। महिलाओं की वैचारिक लड़ाई लड़ने में कई दशक बीत गये परन्तु विकास और विनाश के बीच का फासला ही समझ नहीं आता। जब भी महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अराजकता का शिकार हो रही हैं तब तक महिला सशक्तीकरण के मुद्दे खोखले वादों की तरह वास्तविकता के धरातल को छू भी नहीं पायेंगे।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से ही जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ, सुरक्षा, जीवन या किसी अंक को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न को शामिल किया जाता है। व्यथित व्यक्ति और उसके किसी सम्बन्धी को दहेज या किसी अन्य सम्पत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना आदि घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है।[4]

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया–

अधिनियम–2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जायेगी जो आवेदन मिलने के तीन दिन के भीतर हो सकती है तथा प्रार्थना पत्र का फेसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा और मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना दो दिन के अन्दर देता है तो इन मामलों की सुनवाई इन कैमरा या बन्द न्यायालय में भी की जा सकती है।

अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिये जाने वाले आदेश–

1– संरक्षण से सम्बन्धित आदेश–

अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह पर घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने से या उसमें मदद करने से।

- **उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो और अगर व्यथित कोई बच्चा है तो उसके स्कूलों में प्रवेश करने से।**
- **व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने जैसे बातचीत, पत्र या टेलीफोन आदि।**
- **प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति या संयुक्त सम्पत्ति को बेचने से और बैंक लॉकर, खाते आदि जो संयुक्त या निजी हो उसमें प्रयोग से भी रोका जा सकता है।**
- **महिला पर आश्रित, उसके सम्बन्धिों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है।**

2– निवास सम्बन्धी आदेश–

आवेदन पत्र मिलने पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो प्रतिवादी के विरूद्ध निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है–

- **जिस घर में महिला निवास कर रही है प्रतिवादी उसे वहां से नहीं निकाल सकता है।**
- **प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में न घुसने का आदेश भी दे सकता है।**
- **प्रतिवादी को उस घर को बेचने या किसी को देने से भी रोका जा सकता है।**
- **प्रतिवादी को प्रीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने, उसका किराया देने आदि का भी आदेश दिया जा सकता है।**
- **पीड़ित व उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट जो उचित समझे प्रतिवादी को आदेश दे सकता है।**

- **मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला का स्त्रीधन, अन्य सम्पत्ति वापस करने का आदेश भी दे सकता है।**

3– अभिरक्षा सम्बन्धी आदेश–

मजिस्ट्रेट संरक्षण या अन्य राहत के लिए दिये गये आवेदन की सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का भी आदेश दे सकता हैं प्रतिवादी को बच्चों से मिलने से भी रोका जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह बच्चों के हित में नहीं है।

4– आर्थिक राहत–

मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकता है जिससे व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चों का खर्च पूरा कर सके और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीजें सम्मिलित हो सकती है जैसे–

1– आय को नुकसान।

2– चिकित्सीय खर्च।

3– किसी सम्पत्ति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो, उसका नुकसान बर्बादी या उस सम्पत्ति से उसे निकाल देने का हर्जाना।[5]

अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों की पूर्ति न करने पर निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है।

- **ऐसे में प्रतिवाद को अधिकतम एक वर्ष की जेल या 20,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।**
- **भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 498–ए या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आरोप लगाया जा सकता है।**
- **संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्त्तव्यों की पूर्ति न करने पर ऐसे सरक्षण अधिकारी को अधिकतम एक वर्ष की जेल या रूपये 20,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।[6]**

महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित करना, स्त्रीधन व कोई भी सम्पत्ति जिसकी वह अकेली अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो, आदि को महिला को न देना या उस सम्पत्ति को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।[7]

मेरे द्वारा नैनीताल नगर में घरेलू हिंसा पर किये गये सर्वेक्षण में देखा गया कि अधिकांश मामले घरेलू हिंसा के मारपीट व गाली–गलौज के हैं। शिक्षित तथा अशिक्षित, सभी धर्म व समुदाय, वर्ग तथा शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार की महिलाएं घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से पीड़ित है। मेरे द्वारा सर्वेक्षण के दौरान घरेलू हिंसा का एक कोर्ट केस चल रहा है तथा दहेज उत्पीड़न के 3 केस चल रहे हैं। जबकि 2 महिलाओं ने तलाक ले लिया है। नैनीताल नगर में घर के अन्दर बालिकाओं/महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के 40 मामले देखने को मिले हैं। अधिकांश मारपीट के मामले घर के बड़ों द्वारा आपसी बातचीत के द्वारा ही सुलझा लिये जाते हैं। दहेज के मामले में अधिकांश ताने या मारपीट तक ही सीमित हैं। नैनीताल जिले में दहेज के अत्यधिक भयावह मामले देखने को नहीं मिलते हैं।

घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले बातचीत के दौरान सुलझा लिये जाते हैं तथा बात बढ़ने पर पटवारी तथा पुलिस रिपोर्ट लिखवाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा N.G.O. द्वारा महिला अधिकारों की

जानकारी दिये जाने के कारण महिलाओं में घरेलू हिंसा का विरोध करने का साहस हुआ है। जिस कारण पहले की अपेक्षा महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई।

निष्कर्ष–

इस प्रकार निष्कर्षतः यह पाया गया है कि भारत अपनी आजादी के छः दशक पूरे कर विश्व के सबसे सशक्त गणतन्त्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सभी को अपनी इच्छानुसार जीने की, सोचने की और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिली है। किन्तु अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो स्वतन्त्रता की इस सुखद अनुभूति से वंचित ही है। वह वर्ग है नारी वर्ग। वह स्त्री जो अपनी योग्यता और कुशलता से एक कुशल प्रशासक की भांति अपने परिवार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करती चली आ रही है और जिसके इस योगदान के बिना समाज और देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता पर वही कदम–कदम पर हिंसा का शिकार हो रही है।

महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण मापदण्ड है। विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। महिला समाज की महत्वपूर्ण धुरी है। लेकिन पूरा नारी समाज असमानता और पिछड़ेपन का शिकार है महिलाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर होने वाले भेदभाव, शोषण और अन्याय ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को अत्यन्त शोचनीय बना दिया है। यदि पूरा विश्व विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों में विभाजित है तो पूरा नारी समाज इससे भी अधिक हिस्सों में बँटा है। जहां उनकी स्थिति में अत्यधिक विशमता परिलक्षित होती है।

सुझाव–

घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न की समस्या पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन मनन और चिन्तन किया है। इस समस्या का अध्ययन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों से ही इस समस्या के मूल तक पहुँचा जा सकता है और तभी इनका उचित उपचार सम्भव है। इसके साथ ही महिला की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि महिला अपने प्रति हो रहे अत्याचार को सहने के बजाय उनका सघर्ष करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें तथा न्यायिक प्रक्रिया व पुलिस प्रशासन को भी महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची–

1– क्वैस्ट, शोध पत्रिका, यू0 जी0 सी0–एच0 आर0 डी0 सी0, नैनीताल (नीमा बोरा, डी0 एस0 बिष्ट वाल्यूम–9, 2015), पृ0–41

2– संयुक्तांक आचार्य नरेन्द्र देव शोध संस्थान नैनीताल (डॉ0 आशा खाती, 2014–2015), पृ. 60

3– संयुक्तांक आचार्य नरेन्द देव शोध संस्थान नैनीताल, वही, पृ0 61

4– सरल कानूनी ज्ञान माला–28, 2015, पृ0–1

5– सरल कानूनी माला–28, पृ0 3–5

6– सरल कानूनी माला–28, पृ0–7

7– (त्रिपाठी, आर0 सी0, 2014, पृ0–42)